

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

दिनांक


बनाम

राजू व जय

संख्या / वर्ष

:

52 / 20 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/05/22	<p>पगावली पेश उर्दू / अचिवस्ता वाडी उपस्थित / अचिवस्ता सूच्य वार्ड लम्बित कि जके से जके वे एकले से अचिवस्ता वाडी द्वारा इकल-यादा गण्य है। क्रम: पगावली वास्ते कलेजत रिपोर्ट दिनांक 20/05/22 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>	
20/5/22	<p>पगावली पेश उर्दू / अचिवस्ता वाडी उपस्थित / कलेजत रिपोर्ट पर सुनी गयी पगावली वास्ते आदेश दिनांक 31/05/22 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>	
31/5/22	<p>पगावली पेश उर्दू / अचिवस्ता वाडी उपस्थित / कलेजत रिपोर्ट के तथ्यों पर गहन चिन्ता वाडी द्वारा कलेजत रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई है तथा किसी की प्रतिवादी पत्र द्वारा किसी की प्रकार की कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है। कलेजत रिपोर्ट के अवलोकन आरुणा उभयपक्षकारण को कलेजत रिपोर्ट हेतु विभिन्न पूर्व सूचित की चिन्ता गण्य है किन्तु तामिल शुका नौसि कलेजत रिपोर्ट के इलाक हो तथा चिन्ता दिनांक को वाडी व प्रतिवादी तं. उ उपस्थित</p>	

हंसराज वनाम राजू व अन्य

मु. सं. 52/2020

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	31/5/22	<p>मी रहे हैं जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत कुरेजत विधिकत प्रक्रिया के अन्तर्गत तैयार कर प्रस्तुत की गई है जिसके तदनुसार में वादी की ओर से सहमति की व्यक्त की गई है तथा किती की प्रतिवादी पत्रकार द्वारा कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः तदनुसार मामले की ओर से प्रस्तुत कुरेजत रिपोर्ट अनुसार वाद वादी अन्तिम डिडी दिया जाता है तदनुसार पचास डिडी जारी है। (विस्तृत निर्णय पृष्ठक के लिखा जाकर संलग्न है।)</p> <p>पतावली फॉरल शुमार होकर 32 नम्बर है वगैरह है। काफ़ी तपकील यारीकल दफ़्तरे में निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जबपुर</p>

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति अपर्णा शर्मा (आर.ए.एस)

वाद सं. : 52 / 2020

दिनांक 31.05.2022

हंसराज पुत्र देबू जाति बलाई

निवासी चक मनोहरपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

-वादी

बनाम

1. राजू पुत्र देबू जाति बलाई

निवासी चक मनोहरपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

2. माली देवी उर्फ सुशीला पुत्री देबू पत्नी नेतराम जाति बलाई

हाल निवासी कुमावतों का मोहल्ला, ग्राम महारकला तहसील चोंमू जिला जयपुर।

3. कोयली देवी पुत्री देबू पत्नी रामजीलाल जाति बलाई

निवासी कोलियों का मोहल्ला, ग्राम महारकला तहसील चोंमू जिला जयपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

5. उप-पंजीयक आमेर जिला जयपुर

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार वाद वादी निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है -

न जमाबन्दी अनुसार प्रविष्टि					प्रस्तावित कुरेजात अनुसार प्रविष्टि					
नाम खातेदारान	ख. नं.	किस्म भूमि	रकबा है. में	लगान	क्र. सं.	नाम खातेदारान	ख.नं.	रकबा है. में	किस्म भूमि	लगान
कोयली देवी पुत्री देबू हिस्सा 1/8, माली देवी उर्फ सुशीला दवी पुत्री देबू हि. 1/8, राजू पुत्र देबू हि. 1/8 विना राहिन, हंसराज पुत्र देबू हि. 5/8 राहिन हि. 1/2 पूर्ण खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मनोहरपुर समस्त जातियान बलाई समस्त निवासीयान सा. देह खातेदार	169	बा. 1	1.12	8.96	1	हंसराज पुत्र देबू हि. 5/6 राहिन हि. 4/6 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मनोहरपुर कोयली देवी पुत्री देबू हि. 1/6 समस्त जाति बलाई सा. देह खातेदार	169/1	0.84	बा. 1	6.72
					2	राजू पुत्र देबू हि. 1/2 माली देवी उर्फ सुशीला देवी पुत्री देबू हि. 1/2 जाति बलाई सा. देह खातेदार	169/2	0.28	बा. 1	2.24

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर
सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक आमेर
मुख्यालय जयपुर